

**राजस्थान सरकार**  
**विधि एवं विधिक कार्य विभाग**  
**(राजकीय वादकरण)**

क्रमांक 8(32)राज/वाद/14पार्ट-4

जयपुर दिनांक. 31.07.18

**:: आदेश ::**

निम्नांकित कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक कारणों से उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या-5 में वर्णित कार्यालयों में एतद्वारा तत्काल प्रभाव से किया जाता है:-

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम	पद नाम	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय	नवीन पदस्थापन कार्यालय	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1	श्री लाखीराम	वरिष्ठ सहायक	विशिष्ट लोक अभियोजक (एनडीपीएस)कोटा	अपर लोक अभियोजक (म0उ0)जोधपुर	वरिष्ठ सहायक के रिक्त पद पर
2	श्री बलतेज सिंह	कनिष्ठ सहायक	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं01, श्रीगंगानगर	विशिष्ट लोक अभियोजक (म0उ0) श्रीगंगानगर	श्री सत्येन्द्र सिंह चौहान के स्थान पर
3	श्री सत्येन्द्र सिंह चौहान	कनिष्ठ सहायक	विशिष्ट लोक अभियोजक (म0उ0) श्रीगंगानगर	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं01, श्रीगंगानगर	श्री बलतेज सिंह के स्थान पर
4	श्रीमती लतिका खत्री	कनिष्ठ सहायक	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं02, बीकानेर	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं05, बीकानेर	कनिष्ठ सहायक के रिक्त पद पर
5	श्री तरुण दिनोदिया	कनिष्ठ सहायक	राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जोधपुर	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं0 2, बीकानेर	श्रीमती लतिका खत्री के स्थान पर
6	श्री विजय सिंह	कनिष्ठ सहायक	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, कामा जिला भरतपुर	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं0 4 भरतपुर	कनिष्ठ सहायक के रिक्त पद पर
7	श्री भूपेन्द्र सिंह	कनिष्ठ सहायक	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं01, बयाना, जिला भरतपुर	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, कामा जिला भरतपुर	श्री विजय सिंह के स्थान पर
8	श्री विककी र्वर्णकार	कनिष्ठ सहायक	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, बानसूर, जिला अलवर	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक संख्या-1, बयाना, जिला भरतपुर	श्री भूपेन्द्र सिंह के स्थान पर
9	श्री प्रमोद कुमार गुप्ता	कनिष्ठ सहायक	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, करौली	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, धौलपुर	रिक्त पद पर
10	श्री पुष्पेन्द्र कुमार	कनिष्ठ सहायक	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं02, तिजारा	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, करौली।	श्री प्रमोद कुमार के स्थान पर

क्रम संख्या-7 पर वर्णित कर्मचारी को नियमानुसार यात्राभत्ता एवं योगकाल देय होगा, शेष कर्मचारियों को उनका स्थानान्तरण स्वयं की प्रार्थना पर किये जाने के कारण यात्राभत्ता एवं योगकाल देय नहीं होगा।

आज्ञा से

६०

(जगमोहन शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशेषाधिकारी, माननीय विधि राज्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, विधि (वादकरण)।
3. सम्बन्धित जिला कलक्टर-----।
4. संबंधित कार्यालय -----।
5. संबंधित कोषाधिकारी-----।
6. सहायक लेखाधिकारी-प्रथम विधि (वादकरण) विभाग।
7. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. संबंधित कर्मचारी-----।
9. रक्षित पत्रावली।

  
(जगमोहन शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव, विधि